<u>विस्तृत विज्ञापन</u>

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(176)RSSB/अर्थना/प्रा.शि./अध्यापक/भर्ती/2025/ **दिनांक :**

विज्ञापन सं. 08/2025

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2025

बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2025 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम–1996, यथा संशोधित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 एवं यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम–2014 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

विभाग का नाम	पद का नाम	विज्ञापित पद संख्या	
संस्कृत शिक्षा विभाग	प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल–प्रथम (संस्कृत)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	187
		अनुसूचित क्षेत्र	–
		कुल	**187**
	प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल–प्रथम (सामान्य)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	422
		अनुसूचित क्षेत्र	27
		कुल	**449**
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल–प्रथम (सामान्य)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	4500
		अनुसूचित क्षेत्र	500
		कुल	**5000**

नोटः– प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा) के पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को एक ही आवेदन करना होगा। उक्त पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जावेगी। आवेदक उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता क्रम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम (संस्कृत शिक्षा) के पदो हेतु अलग से आवेदन करना होगा।

संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल–प्रथम (संस्कृत शिक्षा) के पदो हेतु परीक्षा का आयोजन अलग से करवाया जावेगा जिसकी सूचना बोर्ड कार्यालय की वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित कर दी जावेगी।

<u>अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश :–</u>

1. राज्य सरकार के **<u>आदेश पत्रांकः–पं. 7(13) प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020</u>** एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 19.09.2025 के अनुसार राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2025 के सम्बन्धित वर्गवार पदों हेतु मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022 अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2025 के **लेवल–प्रथम** में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगाः–
2.

RajKaj Ref No.:
18652213

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत	
		Non TSP	**TSP**
1.	सामान्य / अनारक्षित	60	60
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	55	36
3.	अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	55	
4.	समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं	50	36
5.	समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक	50	
6.	दिव्यांग (निःशक्तजन) श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति	40	
7.	सहरिया जनजाति के व्यक्ति	36 (सहरिया क्षेत्र)	—

2. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022 (लेवल–प्रथम) अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2025 (लेवल–प्रथम) से संबंधित समस्त सूचनाएं (रोल नम्बर, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष) भरनी अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता (Preference) देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के जिलों की प्राथमिकता भरना अनिवार्य होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता (Preference) लागू नहीं है।
4. अध्यापक लेवल–प्रथम के पद हेतु वांछित शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022 (लेवल–प्रथम) अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2025 के (लेवल–प्रथम) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
5. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विभागीय पत्र दिनांक 19.09.2025 अनुसार **उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी आवेदित श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सहरिया आदिम जाति आरक्षित श्रेणी) के आधार पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में उक्त सारणी मे वर्गवार उल्लेखितानुसार अंको में छूट प्रदान करते हुए अंक निर्धारण किया जावेगा।**
6. **उक्त सारणी में वर्गवार अंकित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत अनुसार ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन करे। किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त सारणी में वर्गवार अंकित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के बाद भी प्राथमिक अध्यापक भर्ती लेवल–प्रथम (सामान्य / संस्कृत) हेतु आवदेन करने पर अभ्यर्थी को अपात्र कर डिबार (Debar) अथवा कानूनी कार्यवाही की जावेगी।**

विशेष नोट :–

Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत / असत्य सूचना या अपूर्ण **आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रियाः–बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन**, पंचायती राज नियम–1996 एवं एन.सी.टी.ई. की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 एवं 29.07.2011 तथा इनके संबंध में समय–समय पर किये गये संशोधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।

RajKaj Ref No.:
18652213

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगें। **अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें।** OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। **आवेदक को आवेदन पत्र में लाईव फोटो** Capture **कर आवेदन को Submit किया जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह (visible body mark) भरना अनिवार्य है।**

आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाऐं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई–मेल संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की ही गलती माना जावेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी को एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

I. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

II. अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई–मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। **आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।**

III. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।

IV. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

V. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail-[ITCELL.RSSB@RAJASTHAN.GOV.IN] पर सम्पर्क करें। ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2922241/2922238 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।

RajKaj Ref No.:
18652213

VI. **अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं/शिकायतों को स्वयं के मोबाईल न./ईमेल द्वारा pg.rssb@rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ही भिजवाये।**

VII. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।

VIII. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाईट **rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।**

2. एकबारीय पंजीयन शुल्कः—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क **राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।

(क) सामान्य वर्ग क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —**रूपये 600/—**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —**रूपये 400/—**

(ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु —**रूपये 400/—**

नोटः—

1-राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

3-कार्मिक विभाग (क—2) द्वारा परिपत्र क्रमांक—प.8(3)कार्मिक/क—2/2023—04443 दिनांक 09.05.2025 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेन्सी द्वारा एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल—31 मार्च) में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा अर्थात एकबारीय पंजीयन (OTR) सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पैनल्टी शुल्क 750/— रूपये देकर अपना एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) पुनः चालू कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती—परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/— रूपये नहीं चुका देता। अतः उक्तानुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

3 प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल—प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती, 2022 के अन्तर्गत जिलेवार एवं वर्गवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:— गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के सामान्य/संस्कृत शिक्षा के पृथक—पृथक पदों का जिलेवार एवं वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार Annexure पर संलग्न है।

क.स.	पद का नाम		क्षेत्र का विवरण	Annexure संख्या
1	संस्कृत शिक्षा	अध्यापक लेवल—प्रथम (संस्कृत शिक्षा)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	Annexure - 1

RajKaj Ref No.:
18652213

2	विभाग	अध्यापक लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 2
			अनुसूचित क्षेत्र	
3	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	अध्यापक लेवल प्रथम (सामान्य शिक्षा)	गैर अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 3
			अनुसूचित क्षेत्र	Annexure – 4

नोटः–

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है, तो अभ्यर्थी को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय विस्तृत आवेदन में अपनी प्राथमिकता प्रस्तुत करनी होगी कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अपना चयन चाहता हैं।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) से होगा।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी** करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
5. विभाग से प्राप्त अर्थना के अनुसार उक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण जारी किया गया हैं।

<u>विशेष सूचनाः–</u>

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
2. कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रेषित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा

   परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
3. **राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।**
4. **महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण** क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

   <u>स्पष्टीकरण</u>ः– किसी वर्ग (अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का प्रमाण पत्र पिता तथा पति दोनों के आधार पर मान्य होगा।**

RajKaj Ref No.:
18652213

5. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। **पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियॉ उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियॉ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिट्स) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। अन्य राज्य की किसी भी श्रेणी की महिला का राजस्थान में विवाह होने पर उसके द्वारा राजस्थान का मूल निवास एवं ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए पात्र माना जाएगा।

7. **अति पिछडा वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

8. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**

10. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रकिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

11. **बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति** के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 16. 01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

12. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु** :–

(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :–

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

RajKaj Ref No.:
18652213

- भूतपर्व सैनिकों को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिये रिक्तियो का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवगवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत हो जायेगी।** भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें।
- **कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए–II/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार ''भूतपूर्व सैनिक'' के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।**
- ''कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।''
- **''यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।'';**
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नही समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरों के बारे में स्वतः धोषणा पत्र/बचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नही किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नही किया जायेगा।

RajKaj Ref No.:
18652213

13. **<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः</u>– उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 21–11–2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

<u>उत्कृष्ट खिलाडी सम्बन्धी प्रावधान</u> :–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 21–11–2019 के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाडी' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :–

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र. सं. 1	**अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2**	**टूर्नामेंट /चैंपियनशिप का नाम 3**
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।''

RajKaj Ref No.: 18652213

नोटः— कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान—बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। **उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र/मिसमेच खेल प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।**

14. **दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये प्रावधान** :—

I. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 के द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2018 लागू किये गये है, अतः उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

II. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2018 के नियम—6(2) बी के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की गठित समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 एवं संस्कृत शिक्षा विभाग की बैठक दिनांक 22.11.2024 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय होगाः—

1.अध्यापक—लेवल प्रथम, सामान्य/संस्कृत शिक्षा

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि बाधित	बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला)	01 %
3	(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियो की डिस्ट्रोफी सहित चलन—निःशक्तता	ओए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), सीपी (प्रमस्तिष्किय पक्षाघात), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित)	01 %
4	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता	एसएलडी (विशिष्ट अधिगम अक्षमता), एमआई (मानसिक रूग्णता),	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी (बहु दिव्यांगता)(उपरोक्त अ से द मिलाकर)	

a. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

b. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

c. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रमाण पत्र मिसमेच दिव्यांग प्रमाण की सूचना को मान्य नही किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।**

d. ऐसे अभ्यर्थियो को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई

RajKaj Ref No.:
18652213

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान नि:शक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

e. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम–2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में ''यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।''

f. कार्मिक (क–2) विभाग के राजकाज क्रमांक 17019339 दिनांक 06.08.2025 के अनुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाईडलाईन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को दिव्यांगता प्रमाण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त भर्ती में दिव्यांगजनों हेतु पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में UDId कार्ड को वैद्य प्रमाण (Valid Proof) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में UDId Registration/card का विवरण भरना होगा।

4. <u>अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश</u> :–

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02. 1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक(क–2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.06. 2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescind) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है।अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः–अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण–पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यकम एवं स्कीम संबंधी इत्यादि प्रावधान गैर–अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

5. **<u>वेतनमानः</u>**– राजस्थान पंचायतीराज नियम–1996 के नियम 286 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमित सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रारम्भिक विद्यालय अध्यापक लेवल–प्रथम का वेतनमान **<u>लेवल–10</u>** के अनुसार देय होगा। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम–2017 के नियम 16 की अनुसूची (iv) के अनुसार परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाऐं एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायतीराज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में विहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

RajKaj Ref No.: 18652213

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः–

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2025 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताऐंः–

राजस्थान पंचायतीराज नियम–1996 के नियम 266(3) एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना में वर्णितानुसार न्यूनतम योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गो के लिए निम्नानुसार होंगे :–

6.1 प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 (स्तर–प्रथम) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :–

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम–2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations-2002

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

Graduation with 2 year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

तथा

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रा.अ.पा.प.) उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है।

संस्कृत शिक्षा अध्यापक कक्षा 1 से 5 (स्तर–प्रथम) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताः–

B. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

RajKaj Ref No.:
18652213

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (By Whatever name known.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम–2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and procedure) Regulations-2002.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय (या इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

शास्त्री (या इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

Shastri (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) and 2 year Diploma in Elementary Education (By whatever name known).

तथा

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रा.अ.पा.प.) उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है।

नोटः–उच्च माध्यमिक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक पं. 7(13)/प्राशि/आयो/2019 दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2025 में आवेदन हेतु पात्र होंगे :–

(i) उमावि स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामलों में लागू नही होगी, जिन्होने प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29, जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।

(ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हैं, उनके उमावि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।

C. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2022 (लेवल प्रथम) अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2025 (लेवल प्रथम) राज्य सरकार के आदेश पत्रांकः <u>पं.7(13) प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 19.09.2025</u> के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

6.2 अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डी.एल.एड, सामान्य/संस्कृत शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

6.3 लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित

RajKaj Ref No.:
18652213

जनजाति/सहरिया एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए ***निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।***

6.4 **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** की प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम (सामान्य) हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताऐं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। ***आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होगें।***

6.5 **संस्कृत शिक्षा विभाग** की प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम (संस्कृत/सामान्य) हेतु अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा तिथि तक सभी न्यूनतम योग्यताऐं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। ***परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होगें।***

6.6 ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व सेवान्मुक्त भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक हैं। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठयक्रम मे ं प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व अहर्ता हासिल कर लेगा। अस्पष्ट एवं टेड़े–मेडे , Blank एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाईन WebTools का प्रयोग कर Srink किये गये, अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किये जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र/डिबार घोषित किया जा सकता है।

6.7 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरान्त स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाईन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के सीनियर सैकण्डरी/स्नातक के कॉलम में रोलनम्बर के स्थान पर 'Not Applicable' एवं परिणाम में Grade का चयन कर 'N' Grade अंकित कर आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें।

6.8 **<u>अन्य योग्यताऐं –</u>**

- **स्वास्थ्य**:– उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- **चरित्र** :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

7. **<u>राष्ट्रीयता</u> :–**

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ)ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

RajKaj Ref No.:
18652213

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार), जाम्विया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोटः–परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. **आयुः–** राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जो दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.4(3)Am/ Rules/Legal/PR/2010/1095 दिनांक 21.06.2010 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती नही हुई है और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 03 वर्ष से अधिक नही दी जायेगी।

उक्त नियम के अनुसार **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा में उक्त आयु सीमा में अधिकतम छूट 01 वर्ष तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में अधिकतम छूट 03 वर्ष की देय होगी।**

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय हैः–

i. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

ii. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

iii. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

iv. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिशिलकरण के पश्चात् यदि अनज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य हैं यहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिशिलता अन्य लोक सेवकों/ अभ्यार्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा।

v. पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, 03 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी (केवल प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के लिये)।

vi. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।
<u>स्पष्टीकरण :</u> उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल माननीय न्यायालय से जारी विवाह–विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

vii. जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे,उनके लिए ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी। **(केवल प्रारम्भिक शिक्षा के लिए)**

viii. उपर उल्लेखित उपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नही होगी जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र था।

ix. उपर उल्लेखित उपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी की दशा में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, मुक्त कारावास की अवधि के बराबर कालावधि तक शिथिल की जायेगी।

RajKaj Ref No.: 18652213

x. सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होने सीधी भर्ती के लिए आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे। **(केवल संस्कृत शिक्षा के लिए)**

xi. कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। **(केवल संस्कृत शिक्षा के लिए)**

xii. निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हो, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। **(केवल संस्कृत शिक्षा के लिए)**

xiii. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।**(केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए)**

xiv. राज्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी **(केवल संस्कृत शिक्षा के लिए)**।

xv. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम–2018 के उपनियम 6–A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैंचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट :–उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से xiv तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोडकर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा मे छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नही दी जायेगी।

RajKaj Ref No.:
18652213

9. <u>आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः</u>–

(क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 07.11.2025 से दिनांक 06.12.2025 को रात्रि 23.59 बजे** तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 07.11.2025 से दिनांक 06.12.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक** बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

10. **<u>परीक्षा आयोजनः</u>–** राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2025 की परीक्षा बोर्ड द्वारा **<u>दिनांक 17.01.2026 से दिनांक 21.01.2026 के मध्य</u>** आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण (Normalization) की प्रकिया अपनाई जाएगी।

11. **<u>प्रवेश पत्रः</u>–** बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश–पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र क्रमांक** एवं SSO ID ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई–मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाईल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

12. **<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में</u>** :–सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

13. <u>नियुक्ति की अयोग्यताऐं</u> :–

i. किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

ii. किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

iii. कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

iv. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु

- दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,
- किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
- किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

RajKaj Ref No.: 18652213

- कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- इस उप–नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

v. कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred)कर दिया जायेगा।

14. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :–

I. कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समूचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।

II. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा।** अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।

III. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।

IV. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

V. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। **अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जावेंगा।**

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोडा गया हैः–

"यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ–पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।"

VI. **जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधिः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण–पत्र दिशा–निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :–**

i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नही होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

ii. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता हैं।

iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

RajKaj Ref No.:
18652213

VII. अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

VIII. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गो के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

IX. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11()/आ.क.व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ–पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

X. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

XI. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

XII. उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

XIII. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

XIV. परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

XV. शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह–पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध मे विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।

XVI. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यकता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने संबंधी या परित्यकता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

XVII. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

XVIII. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरूद्व ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नही होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति मे बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्व होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

RajKaj Ref No.:
18652213

XIX. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

XX. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग–पत्र देकर नव–नियुक्ति के समय त्याग–पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

XXI. ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नही होगा।

XXII. आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

15. **पेंशनः**– नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।

16. **विवाह पंजीयनः**–शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

17. ऑनलाईन आवेदन के विशेष निर्देशः–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान देः–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ–साथ, सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

RajKaj Ref No.:
18652213

5. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

6. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई हैं अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाईट http://rssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश**

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

b. **आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो Capture कर आवेदन को Submit किया जाना आवश्यक है।**

c. लाइव फोटो के लिये 5 सेकण्ड के Timer के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक दो–तीन बार झपकाएं, यदि आपकी फोटो बन्द ऑखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें।

d. फोटो कैप्चर किये जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्में का इस्तमाल करते हैं तो अपना फोटो चश्में के साथ ही लें परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्में पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो।

e. अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि (**Enlightened Background**) के साथ ली गयी है एवं धुन्धली अथवा अन्धकारमय (**Blurred/Dark**) नहीं है।

f. जब तक फोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बारम्बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं परन्तु एक बार **Final Submit** किये जाने के उपरान्त अवसर देय नहीं होगा।

g. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।

h. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।

i. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

j. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।

k. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

l. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय लाईव फोटो से फोटो एडिटर एप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थितता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाये जाने वाले अभियुक्त के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।**

9. **हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश** :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।

RajKaj Ref No.:
18652213

b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
i. **मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

विशेष टिप्पणीः–

1. **परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/– रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रकिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।**
2. **परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।**
3. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई–प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।**
4. **जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।**
5. **सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट** http://rssb.rajasthan.gov.in **पर उपलब्ध है।**
6. **परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।**

18. श्रुत लेखन की सुविधाः–

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है–

1. **अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकते हैंः–**
   - 1.1. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जांच ले कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
   - 1.2. श्रुतलेखक को फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी द्वारा वचन–पत्र केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा।
   - 1.3. अभ्यर्थी को नियमानुसार जारी दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र भी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी। किन्तु दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन के संबंध में निदेशालय विशेष योग्यजन के परिपत्र क्रमांकः F10(6) (5)/LEGAL/DSAP/GEN./2022-02168 23987 दिनांकः 20.01.2025 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दिन ही स्वयं का सहायक लेकर आते है तो उस दिन उनसे शपथ पत्र भरवाकर अनुमति दी जानी चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर तथा मार्गदर्शिका में भी उपलब्ध है।
2. **बोर्ड के माध्यम सेः–**

RajKaj Ref No.:
18652213

(A) केन्द्राधीक्षक से अनुरोध करः– अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा से 02 दिवस पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी। अत अभ्यर्थी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा–निर्देशः–

1. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के समय श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र, वचनपत्र (Appendix-A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix-B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एव ं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।
3. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 d s Section-2) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) दृष्टिबाधित (Blindness) एवं सेरेबरल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुरूप नामित अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (Appendix-C) एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ds Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुरूप नामित अधिकारी से अनुमोदित्त प्रमाण–पत्र (Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ बोर्ड से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
5. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।
6. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 व 04 के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र है, किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना–पत्र, वांछित दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र एवं वचनपत्र (Appendix-E) प्रस्तुत करना होगा।
7. श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (विज्ञापनानुसार) निम्नानुसार हैः– परीक्षा के लिए विज्ञापननुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता (क) स्नातकोत्तर उपाधि अधिकतम स्नातक (ख) स्नातक उपाधि अधिकतम द्वितीय वर्ष एवं स्नातक अध्ययनरत (ग) सीनियर सैकण्डरी अधिकतम सैकण्डरी (घ) सैकण्डरी उच्च प्राथमिक अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तथापि भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती है।
8. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में विवर्जित (Debarment) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
9. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए है, को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
10. बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रूपये की दर से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का श्रुतलेखक लाने पर श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा।
11. श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्न बोलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार ही उत्तर लिखेगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे। केन्द्राधीक्षक गहन निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक सुविधा का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है।
12. बोर्ड द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करवाई जाने वाली श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर तैयार की गई है। अतः बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्राधीक्षक

RajKaj Ref No.:
18652213

चिकित्सा प्रमाण–पत्रों की जांच कर लेवें तथा उन्हीं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जावें, जो इसके लिये पात्र हैं।

13. बोर्ड की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with benchmark disability" means a person with not less than forty percent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and included a person with disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 :- "Person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

नोट– स्वंय का श्रुतलेखक लाने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन पश्चात सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित दिव्यांगता साबित नहीं होने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। उपर्युक्तानुसार प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

19. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकिया:–

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 07.11.2025 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग का परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर फेच का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने है तो पहले उसे OTR पेज पर आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है।** शेष सूचनाओं में वह **संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:–**

i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बन्द होने की दिनांक के पश्चात 03 दिवस की अवधि में भी आवेदको को अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी।** आवेदक निर्धारित शुल्क 300/– रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी **उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है।** अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग के अलावा शेष सभी प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। **आवेदन में शैक्षणिक योग्यता में प्रथमतः अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा मूल आवेदन एवं संशोधित आवेदन में अंकित प्रविशिष्टियों के आधार पर जांच की जा सकेगी।** ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

RajKaj Ref No.:
18652213

ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से पूर्व/पश्चात् 07 दिवस हेतु प्रदान किया जाएगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी **OTR के समय दर्ज की गई सूचनाओं (**नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि**,** लिंग**) तथा** फोटो, हस्ताक्षर तथा शैक्षणिक योग्यता के अलावा शेष प्रविशिष्टियों में संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु इस अवधि की दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।

iii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

iv. **<u>विधवा श्रेणी के अभ्यर्थीः–</u>**ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से विधवा हो जाती है तो उसे परीक्षा के परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) मय 300/– रूपये शुल्क भुगतान करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा होती है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम (Prospective Effect) से ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

20. <u>ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया</u>ः–

बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है अथवा किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे आवेदकों को परीक्षा आयोजन से लगभग 01 माह पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) करने हेतु 03 दिवस के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recuitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेगें। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

21. <u>आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम</u>ः–

आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्व बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। **परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।**

RajKaj Ref No.:
18652213

22. चयन प्रक्रिया :– बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती में राज्य स्तरीय वरियता एवं चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद इस हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (प्राधिकृत एजेन्सी) द्वारा शॉर्ट–लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियो के प्रारम्भिक स्तर पर संबंधित विभाग से दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करवाई जावेगी तथा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की विज्ञापित रिक्त पदों के अनुसार श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।
3. दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार/पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार अन्तिम रूप से चयन कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जाकर संबंधित विभागों को सूची प्रेषित की जावेगी।

नोटः– समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जावेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जावेगी।

23. राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल–प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती–2025 हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी :–

परीक्षा की स्कीम

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण
1.	परीक्षा 300 अंकों की होगी।
2.	परीक्षा के लिए एक प्रश्न–पत्र होगा।
3.	प्रश्न–पत्र की समयावधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी।
4.	प्रश्न–पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे।
5.	उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है।

पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार

परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय–समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से, जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे, सूचित किया जाएगा।

सामान्य शिक्षा परीक्षा के लिए विषय एवं अंक–भार

अध्यापक, लेवल–प्रथम सामान्य शिक्षा (कक्षा 1 से 5 तक के लिए)

क्र.सं.	विवरण	अंक–भार
1.	**राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा** **भूगोल** ● राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप	**100 अंक**

RajKaj Ref No.: 18652213

	● मानसून तंत्र एवं जलवायु ● अपवाह तंत्र– झीलें, नदियाँ, बांध ● राजस्थान की वन–संपदा ● वन्य जीव–जन्तु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य ● मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण ● राजस्थान की प्रमुख फसलें ● जनसंख्या, जनसंख्या–घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात ● राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र ● धात्विक एवं अधात्विक खनिज ● राजस्थान के ऊर्जा संसाधनः परम्परागत एवं गैर–परम्परागत ● राजस्थान के पर्यटन स्थल ● राजस्थान में यातायात के साधन <u>इतिहास एवं संस्कृति</u> ● राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। ● राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। ● राजस्थान की स्थापत्य कला: किले, स्मारक इत्यादि। ● राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य ● राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा एवं विरासत ● राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता ● राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल ● राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ● राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण ● राजस्थान की चित्रकलाएँ एवं हस्तशिल्प ● 1857 की क्रांति मे ं राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन ● प्रजामण्डल एवं राजस्थान का एकीकरण <u>राजस्थानी भाषा</u> ● राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ ● प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ ● प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार ● राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य	
2.	**राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय** <u>राजस्थान का सामान्य ज्ञान</u>	**80 अंक**

RajKaj Ref No.:
18652213

		• राजस्थान के प्रतीक चिह्न • राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ • राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र • राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल • राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी • राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि। • राजस्थान के प्रमुख उद्योग। • राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था • राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएँ। शैक्षिक परिदृश्य • शिक्षण अधिगम के नवाचार। • राज्य में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ एवं पुरस्कार। • विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 : प्रावधान एवं क्रियान्विति • राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 • राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। सामयिक विषय • राजस्थान की सम–सामयिक घटनाएँ। • राज्य की अभिनव विकास योजनाएँ एवं क्रियान्विति • अन्य सम–सामयिक विषय।	
3.		**विद्यालय विषय**	
		• हिन्दीः– शब्द–भेद (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया–विशेषण), संधि, समास, शब्द–रूपांतरण, शब्द–शुद्धि, मुहावरें एवं लोकोक्तियाँ।	**10 अंक**
		• English:- Articles, Tense, Voice, Narration, Idioms & Proverbs, Phrasal Verbs, One Word Substitution.	**10 अंक**
		गणितः–	**10 अंक**

RajKaj Ref No.:
18652213

	● पूर्ण संख्याएँ, अभाज्य और भाज्य संख्याएँ ● गणितीय मूल संक्रियाएँ – जोड़, बाकी, गुणा, भाग ● भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएँ ● अभाज्य गुणनखण्ड, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक ● प्रतिशत, लाभ–हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ● रेखा एवं कोण ● समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल ● ठोस आकृतियों (घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले) का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन	
	सामान्य विज्ञानः– ● अम्ल, क्षारक और लवण ● तत्व, यौगिक एवं मिश्रण ● भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ● गति ● बल तथा गति के नियम ● प्रकाश ● कोशिकाः संरचना एवं प्रकार्य ● जीवों में श्वसन एवं परिवहन ● जन्तुओं में जनन	**10 अंक**
	सामाजिक अध्ययनः– ● राजस्थान : एक परिचय ● मुगल साम्राज्य ● राजस्थान की अर्थव्यवस्था ● पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप ● भारत : प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव व वन्य जीव संरक्षण ● राजस्थान में कृषि ● भारतीय संविधान ● राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान ● राजस्थान में लोक प्रशासन	**10 अंक**

RajKaj Ref No.:
18652213

4.	शैक्षणिक रीति विज्ञानः– (अ) हिन्दीः– ● हिन्दी भाषा की शिक्षण विधियाँ ● भाषायी कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना) एवं भाषायी कौशलों का विकास ● हिन्दी भाषा शिक्षण के उपागम ● हिन्दी शिक्षण में चुनौतियाँ ● हिन्दी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग ● हिन्दी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ ● निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	**08 अंक**
	(ब) English:- ● Principles of teaching English ● Communicative English Language teaching ● Method s of Teaching English ● Difficulties in learning English(Role of home language multilingualism) ● Methods of evaluation, Remedial Teaching	**08 अंक**
	(स) गणितः– ● गणित विषय की शिक्षण विधियाँ ● गणित शिक्षण के उपागम ● गणित शिक्षण में चुनौतियाँ ● गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग ● गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ ● निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	**08 अंक**
	(द) सामान्य विज्ञानः– ● विज्ञान की शिक्षण विधियाँ ● विज्ञान शिक्षण के उपागम ● विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग ● विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ ● निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	**08 अंक**
	(य) सामाजिक अध्ययनः– ● सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति	**08 अंक**

RajKaj Ref No.:
18652213

	• सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री • सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएँ • प्रायोजना कार्य • सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन • निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	
5.	शैक्षणिक मनोविज्ञान :– • शैक्षिक मनोविज्ञान : अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य • बाल विकास : अर्थ, बाल विकास के सिद्धान्त एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक • बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव • व्यक्तित्व : संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन • बुद्धि : संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धान्त एवं मापन • अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक • अधिगम के विभिन्न सिद्धान्त • अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ • विविध अधिगमकर्ता के प्रकार : पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। • अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ • अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव • समायोजन की संकल्पना, तरीकें एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका	**20 अंक**
6.	सूचना तकनीकीः– • सूचना प्रौद्योगिकी के आधार • सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (टूल्स) • सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग • सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव	**10 अंक**

संस्कृत शिक्षा परीक्षा के लिए विषय एवं अंक–भार

अध्यापक, लेवल–प्रथम संस्कृत शिक्षा (कक्षा 1 से 5 तक के लिए)

क्र.सं.	विवरण	अंक–भार
8.	**राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा** **भूगोल** • राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप • मानसून तंत्र एवं जलवायु • अपवाह तंत्र– झीलें, नदियाँ, बांध	**100 अंक**

RajKaj Ref No.:
18652213

		● राजस्थान की वन–संपदा ● वन्य जीव–जन्तु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य ● मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण ● राजस्थान की प्रमुख फसलें ● जनसंख्या, जनसंख्या–घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात ● राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र ● धात्विक एवं अधात्विक खनिज ● राजस्थान के ऊर्जा संसाधनः परम्परागत एवं गैर–परम्परागत ● राजस्थान के पर्यटन स्थल ● राजस्थान में यातायात के साधन इतिहास एवं संस्कृति ● राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँः कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। ● राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। ● राजस्थान की स्थापत्य कलाः किले, स्मारक इत्यादि। ● राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य ● राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा एवं विरासत ● राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता ● राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल ● राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ● राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण ● राजस्थान की चित्रकलाएँ एवं हस्तशिल्प ● 1857 की क्रांति मे राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन ● प्रजामण्डल एवं राजस्थान का एकीकरण राजस्थानी भाषा ● राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ ● प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ ● प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार ● राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य	
9.		**राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय** राजस्थान का सामान्य ज्ञान ● राजस्थान के प्रतीक चिह्न ● राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ	**80 अंक**

RajKaj Ref No.:
18652213

	• राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र • राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल • राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी • राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि। • राजस्थान के प्रमुख उद्योग। • राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था • राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएँ। <u>शैक्षिक परिदृश्य</u> • शिक्षण अधिगम के नवाचार। • राज्य में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ एवं पुरस्कार। • विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। <u>निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम</u> • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 : प्रावधान एवं क्रियान्विति • राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 • राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। <u>सामयिक विषय</u> • राजस्थान की सम–सामयिक घटनाएँ। • राज्य की अभिनव विकास योजनाएँ एवं क्रियान्विति • अन्य सम–सामयिक विषय।	
3.	संस्कृत विषय का ज्ञान • संज्ञाप्रकरणतः सामान्यप्रश्नाः – माहेश्वरसूत्राणि, स्वरभेदाः, इत्, लोपः, संहिता, सवर्णम्, उच्चारणस्थानानि। • निम्नलिखितानां संधीनां सामान्यपरिचयः–संधिः–संधिविग्रहश्च–अच्संधिः, हल्संधिः, विसर्गसंधिः। • समासानां परिचय–समास–विग्रहाधारितसामान्यप्रश्नाः। • प्रत्ययाधारितसामान्यप्रश्नाः। • निम्नलिखितानां शब्दरूपाणां ज्ञानम् – राम, हरि, गुरु, रमा, मति, नदी, फल, वारि, मधु, तत्, अस्मद्, युष्मद्। • निम्नलिखितानां धातुरूपाणां ज्ञानम्–(लट् लकार, लृट् लकार, लङ् लकार, लोट् लकार, विधिलिङ् लकार)– भू, अस्, पठ्, लिख्, सेव्, कृ।	50 अंकाः

RajKaj Ref No.:
18652213

	• अव्ययपदसम्बन्धि–सामान्यप्रश्नाः। • उपसर्गाधारित–सामान्यप्रश्नाः। • कारकप्रकरणसम्बन्धि–सामान्यप्रश्नाः। • हिन्दीवाक्यानां संस्कृतानुवादः। • सूक्ति–सुभाषित–समय–नक्षत्रसम्बन्धि–सामान्यप्रश्नाः। • कारक–प्रत्यय–समास–आधारितवाक्यानाम् अशुद्धिसंशोधनम्। • संस्कृतसाहित्येतिहास–सम्बन्धि–सामान्यपरिचयात्मक–प्रश्नाः – लौकिकसाहित्यम्– रामायणम्, महाभारतम्। महाकाव्यकवयः– कालिदासः, भारविः, माघः, श्रीहर्षः। दृश्यकाव्यकवयः– भासः, भवभूतिः, शूद्रकः।	
4.	संस्कृत विषयस्य शैक्षणिक रीति विज्ञानम्– • संस्कृत भाषा– अध्यापनविधिसम्बन्धिप्रश्नाः। • संस्कृतभाषा– शिक्षण–सिद्धान्ताः। • संस्कृत भाषाकौशलस्य विकासः (श्रवणम्, सम्भाषणम्, पठनम्, लेखनम्) • संस्कृत शिक्षणे अधिगमसाधनानि, संस्कृतशिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृतपाठ्यपुस्तकानि। • संस्कृतभाषाशिक्षणस्य मूल्यांकन–संबंधिताः प्रश्नाः मौखिक–लिखितप्रश्नानां प्रकाराः सततमूल्यांकनम् उपचारात्मकशिक्षणम्।	40 अंकाः
5.	शैक्षणिक मनोविज्ञान :– • शैक्षिक मनोविज्ञान : अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य • बाल विकास : अर्थ, बाल विकास के सिद्धान्त एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक • बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव • व्यक्तित्व : संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन • बुद्धि : संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धान्त एवं मापन • अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक • अधिगम के विभिन्न सिद्धान्त • अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ • विविध अधिगमकर्ता के प्रकार : पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। • अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ • अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव • समायोजन की संकल्पना, तरीकें एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका	**20 अंक**
6.	सूचना तकनीकीः– • सूचना प्रौद्योगिकी के आधार	**10 अंक**

RajKaj Ref No.:
18652213

	• सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (टूल्स) • सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग • सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव	

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये है :–

1. **प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेगें। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।**
   Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. **प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।**
   It is mandatory to fill only one of the options for each question.
3. **यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेगें।**
   If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkend, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. **प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।**
   After solving question paper, candidate must ascertain that he\she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. **जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नो को किन्ही पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।**
   A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualifed.

24. **बोर्ड की वेबसाइटः–**अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

सचिव

क्रमांकः प.14(107)RSSB/अर्थना/प्राशि./अध्यापक/भर्ती /2022/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का विज्ञापन संख्या 08/2025 दिनांक 07.11.2025 की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु प्रकाशनार्थ हेतु भेजा जा रहा है।
   उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन प्रबन्धक से भी अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम संस्करण में हर हालात में प्रकाशित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके।
   अर्थना अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018

RajKaj Ref No.: 18652213

2. **निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, पंचायतीराज (प्राशि), शासन सचिवालय, जयपुर।**
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रंबध निदेशक, राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल) प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर–302005 से अनुरोध है कि उक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, RSSB, जयपुर को विज्ञापन बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

सचिव

RajKaj Ref No.:
18652213

संस्कृत शिक्षा विभाग (संस्कृत) (गैर–अनुसूचित क्षेत्र)

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
187	49	15	05	01	21	16	02	—	16	05	01	—	28	08	03	—	07	02	—	—	13	04	01	—	—	—	—	—

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)										
दिव्यांगजन				**भूतपूर्व सैनिक**						**उत्कृष्ट खिलाड़ी**
B/ LV	**HI**	**LD/CP**	**I.D, MI,SLD, & AUTISM**	**GEN**	**SC**	**ST**	**OBC**	**MBC**	**EWS**	
02	02	02	02	08	03	02	04	01	02	03

संस्कृत शिक्षा विभाग (सामान्य)(गैर–अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र)

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र –

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
422	108	31	12	03	47	14	05	01	35	10	04	**01**	62	18	07	01	15	05	01	–	30	09	03	–	–	–	–	–

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)										
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/ LV	HI	LD/CP	I.D, MI,SLD, & AUTISM	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
05	04	04	04	19	08	06	11	02	05	08

(ख) अनुसूचित क्षेत्र –

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता
27	10	03	01	–	01	–	–	–	09	02	01	–

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	I.D, MI,SLD, & AUTISM	GEN	SC	ST	
01	01	–	–	01	–	01	&

RajKaj Ref No.:
18652213

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिशिष्ट–बी

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2025 (लेवल–प्रथम, सामान्य शिक्षा) की रिक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण – (गैर अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल पद	अनारक्षित वर्ग								EWS वर्ग कुल 10 प्रतिशत								SC वर्ग कुल 16 प्रतिशत								ST वर्ग कुल 12 प्रतिशत								OBC वर्ग कुल 21 प्रतिशत								MBC वर्ग कुल 05 प्रतिशत								[illegible]	
			सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	सामान्य महिला (महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत)	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती से अग्रेषित)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	सामान्य महिला (महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत)	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती से अग्रेषित)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	सामान्य महिला (महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत)	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती से अग्रेषित)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	सामान्य महिला (महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत)	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती से अग्रेषित)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	सामान्य महिला (महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत)	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती से अग्रेषित)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)	योग	सामान्य महिला (महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत)	विधवा (08 प्रतिशत)	परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती से अग्रेषित)	सामान्य	महिला (30 प्रतिशत)
1	AJMER	44	11	5	16	4	1	0	2	14	2	2	4	2	0	0	1	3	5	2	7	1	1	0	1	6	4	1	5	0	1	0	1	4	6	3	9	2	1	0	1	8	2	1	3	1	0	0	1	7	0	0
2	ALWAR	280	71	30	101	20	8	2	12	43	19	9	28	6	2	1	3	12	31	14	45	10	4	0	6	19	23	10	33	7	3	0	5	14	41	18	59	12	5	1	7	25	10	4	14	2	1	1	1	6	0	0
3	BARMER	427	108	46	154	11	12	3	18	56	30	13	43	9	3	1	5	15	47	21	68	14	5	2	8	24	35	16	51	10	4	2	6	18	63	27	90	18	7	2	11	32	15	6	21	5	1	0	3	7	0	0
4	BHARATPUR	40	10	4	14	3	0	1	2	12	3	1	4	1	0	0	1	3	5	2	7	2	0	0	1	6	3	2	5	2	0	0	1	4	5	3	8	2	0	1	0	8	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0
5	BHILWARA	229	57	25	82	17	6	2	10	37	16	7	23	4	2	1	2	10	26	11	37	7	3	1	5	16	20	8	28	5	2	1	3	12	33	15	48	10	4	1	5	21	8	3	11	1	1	1	1	5	0	0
6	BIKANER	164	41	17	58	11	4	2	6	31	12	4	16	3	1	0	2	8	18	8	26	5	3	0	3	13	14	6	20	3	2	1	2	10	24	11	35	7	3	1	4	17	6	3	9	2	1	0	1	4	0	0
7	BUNDI	61	16	7	23	4	2	1	3	20	4	2	6	1	0	1	0	6	7	3	10	2	1	0	1	9	5	2	7	1	1	0	1	6	8	4	12	3	1	0	1	11	2	1	3	1	0	0	0	3	0	0
8	CHITTORGARH	17	7	2	9	2	0	0	1	8	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	3	1	4	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHURU	42	11	4	15	3	1	0	2	13	3	1	4	1	0	0	1	3	5	2	7	1	1	0	1	6	3	2	5	2	0	0	1	4	6	3	9	1	1	1	1	8	1	1	2	0	1	0	1	1	0	0
10	DAUSA	11	4	2	6	1	1	0	1	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DHAULPUR	43	11	4	15	3	1	0	2	13	4	1	5	0	1	0	0	5	5	2	7	2	0	0	1	6	3	2	5	1	0	1	0	5	6	3	9	2	1	0	1	8	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
12	GANGANAGAR	70	16	7	23	4	2	1	2	16	5	2	7	2	0	0	1	4	8	4	12	3	1	0	1	7	6	3	9	1	1	1	1	5	11	4	15	3	1	0	2	13	3	1	4	1	0	0	0	2	0	0
13	HANUMANGARH	21	5	2	7	1	1	0	1	6	1	1	2	0	1	0	0	2	3	1	4	1	0	0	1	3	2	1	3	1	0	0	0	3	3	1	4	0	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
14	JAIPUR	448	113	48	161	32	13	3	19	59	32	13	45	8	4	1	6	16	50	22	72	15	6	1	9	26	38	16	54	10	5	1	6	19	66	28	94	19	7	2	11	34	15	7	22	5	2	0	2	8	0	0
15	JAISALMER	118	30	13	43	9	3	1	5	15	8	3	11	2	1	0	1	4	14	5	19	4	1	0	3	6	11	4	15	2	1	1	1	5	18	7	25	4	3	0	4	8	4	1	5	1	0	0	0	2	0	0
16	JALORE	244	62	27	89	18	7	2	11	22	17	7	24	5	1	1	3	6	27	12	39	8	3	1	5	9	20	9	29	6	3	0	4	7	35	16	51	11	4	1	6	12	9	3	12	2	1	0	1	3	0	0
17	JHALAWAR	169	43	18	61	12	5	1	7	18	12	5	17	3	1	1	2	5	19	8	27	6	2	0	3	8	14	6	20	4	1	1	2	6	24	11	35	8	2	1	4	10	7	2	9	1	1	0	1	2	0	0
18	JHUNJHUNU	54	12	6	18	4	2	0	2	15	4	2	6	2	0	0	1	4	6	3	9	2	1	0	2	6	5	2	7	1	1	0	1	5	8	3	11	2	1	0	1	9	2	1	3	1	0	0	0	2	0	0
19	JODHPUR	191	49	20	69	13	5	2	9	48	14	6	20	4	2	0	3	13	21	9	30	5	3	1	4	21	16	7	23	4	2	1	3	16	28	12	40	8	3	1	5	28	6	3	9	2	1	0	1	6	0	0
20	KARAULI	94	25	10	35	6	3	1	4	27	7	2	9	2	0	0	1	7	10	5	15	3	1	1	1	12	8	3	11	2	1	0	1	9	14	6	20	4	2	0	2	15	3	1	4	0	1	0	1	3	0	0
21	KOTA	203	50	22	72	14	6	2	8	17	15	6	21	4	1	1	3	4	22	10	32	7	3	0	4	7	17	8	25	6	1	1	3	5	30	13	43	8	4	1	5	10	7	3	10	2	1	0	1	2	0	0
22	NAGAUR	85	22	9	31	7	2	0	4	27	5	3	8	2	1	0	1	7	10	4	14	3	1	0	2	12	8	3	11	2	1	0	1	10	12	5	17	3	1	1	2	15	3	1	4	1	0	0	0	4	0	0
23	PALI	218	56	23	79	15	7	1	10	27	15	7	22	5	2	0	3	7	24	11	35	8	2	1	4	11	18	8	26	5	3	0	4	8	32	13	45	9	3	1	5	15	7	4	11	3	1	0	2	3	0	0
24	RAJSAMAND	33	9	4	13	2	1	1	1	12	3	0	3	0	0	0	0	3	4	2	6	2	0	0	0	6	3	1	4	0	0	1	0	4	4	2	6	2	0	0	1	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
25	S. MADHOPUR	46	11	5	16	4	1	0	2	14	3	2	5	1	1	0	1	4	5	2	7	1	1	0	1	6	4	2	6	2	0	0	1	5	6	3	9	1	1	1	1	8	2	1	3	0	1	0	1	2	0	0
26	SIKAR	65	16	7	23	4	2	1	3	20	5	2	7	2	0	0	1	6	7	3	10	2	1	0	2	8	5	3	8	2	1	0	1	7	10	4	14	2	1	1	2	12	2	1	3	0	1	0	0	3	0	0
27	SIROHI	30	8	3	11	2	1	0	1	10	2	1	3	0	1	0	1	2	3	1	4	1	0	0	0	4	2	2	4	2	0	0	0	3	4	2	6	1	0	1	1	5	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0
28	TONK	62	16	7	23	5	1	1	2	18	5	1	6	0	1	0	0	5	7	3	10	2	1	0	1	8	5	2	7	1	0	1	0	6	9	4	13	3	1	0	2	10	3	0	3	0	0	0	0	2	0	0
29	UDAIPUR	70	17	8	25	6	1	1	2	12	5	2	7	2	0	0	1	3	8	3	11	1	1	1	1	5	7	2	9	1	1	0	1	3	10	4	14	3	1	0	2	6	3	1	4	1	0	0	1	1	0	0
30	BALOTRA	281	73	30	103	20	8	2	12	0	20	8	28	6	2	0	3	0	31	13	44	9	4	0	5	0	24	9	33	7	2	0	4	0	42	17	59	12	4	1	7	0	10	4	14	3	1	0	1	0	0	0
31	BEAWAR	84	23	9	32	7	2	0	4	0	6	2	8	2	0	0	1	0	10	3	13	2	1	0	1	0	7	3	10	2	1	0	1	0	12	5	17	4	1	0	2	0	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0
32	DEEG	37	12	5	17	4	1	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	4	1	5	1	0	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	0	5	2	7	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	DIDWANA KUCHAMAN	58	17	7	24	5	2	0	3	0	4	1	5	1	0	0	0	0	7	2	9	2	0	0	1	0	5	1	6	1	0	0	0	0	9	3	12	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
34	PHALODI	84	23	9	32	7	2	0	4	0	6	2	8	2	0	0	1	0	10	3	13	2	1	0	1	0	7	3	10	2	1	0	1	0	12	5	17	4	1	0	2	0	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0
35	KHAIRTHAL TIJARA	223	59	24	83	17	6	1	10	0	16	6	22	5	1	0	2	0	25	10	35	7	3	0	4	0	19	7	26	5	2	0	3	0	33	13	46	9	4	0	5	0	8	3	11	2	1	0	1	0	0	0
36	KOTPUTLI BEHROR	77	21	9	30	7	2	0	3	0	5	2	7	2	0	0	0	0	9	3	12	2	1	0	1	0	7	2	9	2	0	0	1	0	12	4	16	3	1	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
37	BARAN	77	21	7	28	5	2	0	3	16	4	4	8	3	1	0	1	4	5	0	5	0	0	0	1	3	1	4	5	2	2	0	1	2	7	1	8	1	0	0	1	4	1	3	4	2	1	0	0	2	15	4
	TOTAL	4500	1156	485	1641	329	124	32	193	651	316	131	447	92	30	9	52	173	500	209	709	144	56	9	86	275	372	163	535	106	44	13	62	206	653	276	929	186	71	19	108	366	159	61	220	41	18	2	22	81	15	4

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिशिष्ट–बी

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2025 (लेवल–प्रथम, सामान्य शिक्षा) की रिक्तियों का जिलेवार एवं वर्गवार वर्गीकृत विवरण – (अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल पद	अनारक्षित वर्ग – सामान्य	अनारक्षित वर्ग – महिला (30 प्रतिशत)	अनारक्षित वर्ग – योग	अनारक्षित वर्ग – महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत – सामान्य महिला	अनारक्षित वर्ग – महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत – विधवा (08 प्रतिशत)	अनारक्षित वर्ग – महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत – परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	अनारक्षित वर्ग – भूतपूर्व सैनिक	अनारक्षित वर्ग – भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रनित)	SC वर्ग कुल 05 प्रतिशत – सामान्य	SC – महिला (30 प्रतिशत)	SC – योग	SC – महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत – सामान्य महिला	SC – विधवा (08 प्रतिशत)	SC – परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	SC – भूतपूर्व सैनिक	SC – भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रनित)	ST वर्ग कुल 45 प्रतिशत – सामान्य	ST – महिला (30 प्रतिशत)	ST – योग	ST – महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत – सामान्य महिला	ST – विधवा (08 प्रतिशत)	ST – परित्यक्ता (02 प्रतिशत)	ST – भूतपूर्व सैनिक	ST – भूतपूर्व सैनिक (पूर्व भर्ती के अग्रनित)	निःशक्तजन कुल 4 प्रतिशत – (अ) दृष्टि बाधित (1%)	निःशक्तजन – (ब) श्रवण बाधित (1%)	निःशक्तजन – (स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन– निःशक्तता (1%)	निःशक्तजन – (द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता (इ) बहु दिव्यांगता (एम डी) (1%)	उत्कृष्ट खिलाड़ी 2 प्रतिशत	निःशक्त अग्रनीत – (अ) दृष्टि बाधित (1%)
1	BANSWARA	19	6	3	9	2	1	0	1	8	0	1	1	1	0	0	0	1	7	2	9	1	1	0	1	8	0	0	0	1	0	3
2	DUNGARPUR	43	14	7	21	5	2	0	3	18	1	1	2	1	0	0	0	2	14	6	20	4	1	1	3	17	0	1	1	0	1	3
3	PALI	27	10	4	14	3	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8	4	12	3	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0
4	PRATAPGARH	122	43	18	61	12	5	1	8	13	5	1	6	1	0	0	1	1	38	17	55	11	5	1	7	11	1	2	1	1	2	2
5	RAJSAMAND	7	2	1	3	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	UDAIPUR	80	28	12	40	8	3	1	5	39	3	1	4	0	1	0	1	3	25	11	36	7	3	1	4	35	1	0	1	1	2	7
7	SIROHI	126	45	18	63	12	5	1	7	6	5	2	7	1	1	0	1	0	39	17	56	11	4	2	7	5	2	1	1	1	3	1
8	SALUMBER	76	28	11	39	8	3	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	24	10	34	7	3	0	4	0	1	1	1	1	1	0
	TOTAL	500	176	74	250	50	21	3	29	86	19	6	25	4	2	0	3	7	157	68	225	45	18	5	29	76	6	6	5	5	9	1[illegible]

RajKaj Ref No.: 18652213